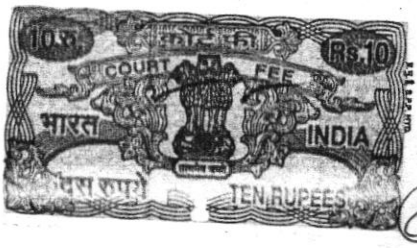

(9) 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–रायसेन

अपील/रायसेन/अ.प्र./2018/0786

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त, आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल

3– जिला आबकारी अधिकारी जिला रायसेन

4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन

-- प्रत्यर्थीगण

... 1.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13.2.18 नियत।

... 1.2.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/6055 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रायसेन/आ.अ./2018/0786

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6055 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1153 दिनांक 30-3-2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु अपीलार्थी कम्पनी को बोतलबंद देशी मदिरा देशी प्रदाय क्षेत्र रायसेन आबंटित किया गया था । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार रायसेन, बरेली, औबेदुल्लागंज एवं गैरतगंज पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 163 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रखा गया एवं कुल 305 दिवस, विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6055 में दिनांक 10-11-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन, बरेली, औबेदुल्लागंज एवं गैरतगंज में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 163 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने से रूपये 500/- प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 81,500/- तथा कुल 305 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 76,250/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 1,72,250/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस	

न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर उन्हें सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था कि आसवक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने पर भी किसी पक्ष को आर्थिक हानि नहीं हुई है, न ही किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मदिरा दुक्राने बंद रहने से क्षति पूर्ति की मांग की गई है और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अत: अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लंबित रहने संबंधी जो आरोप लगाये गये हैं, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा लायसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए नियम 12(1) के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के मध्य एक संविदा है और संविदा की धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत यदि किसी पक्ष को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है । इस प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे आबंटित प्रदाय क्षेत्र जिला रायसेन के देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 163 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रखा गया है एवं कुल 305 दिवस निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे आबंटित प्रदाय क्षेत्र जिला रायसेन के देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन, बरेली, औबेदुल्लागंज एवं गैरतगंज पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 में कुल 163 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रखा गया है तथा कुल 305 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है । म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार में बोतलबंद देशी मदिरा के प्रदाय के 5 दिवस समतुल्य निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी के उक्त कृत्य से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि में कुल 163 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रखने से रूपये 500/- प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 81,500/- तथा कुल 305 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 76,250/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 1,72,250/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10-11-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष